मानवाधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के प्रति सर्वव्यापी आदर तथा उनके अनुरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अधिपत्र के अन्तर्गत राज्यों के दायित्व पर विचार करते हुए,

यह अनुभव करते हुए कि, वर्तमान प्रसंविदा में मान्य अधिकारों के अनुपालन तथा प्रोत्साहन के लिए प्रयास हेतु अन्य व्यक्तियों तथा अपने समुदाय के प्रति कर्तव्यों से बँधे हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ दायित्व हैं,

निम्नांकित अनुच्छेदों पर सहमत होते हैं:

भाग I

अनुच्छेद 1– 1. सभी जनों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार वे अपनी राजनीतिक स्थिति निर्धारित करते है और मुक्त रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की और अग्रसर होते है।

2. सभी जन, आपसी हित के सिद्धांतों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से उत्पन्न बाध्यताओं को क्षति पहुचायें बिना, अपनी प्राकृतिक संपत्ति की अपने हित में व्यवस्था कर सकते है। अपने भरण–पोषण के साधनों से किसी जन को किसी भी अवस्था में वंचित नही किया जायेगा।

3. गैर–स्वशासी एवं न्यास क्षेत्रों के पशासन के लिए उत्तरदायी राज्यों समेत, वर्तमान प्रसंविदा के सभी पक्षकार राज्य आत्मनिर्णय के अधिकार की सिद्धि का अभिवर्धन करेंगे तथा, संयुक्त राष्ट्र के अधिपत्र के प्रावधानों के सानुकूल, उस अधिकार का सम्मान करेंगे।

भाग II

अनुच्छेद 2– 1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रतिबद्ध होते हैं कि वे, अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए, व्यष्टितः एवं अंतरराष्ट्रीय सहायता और सहयोग, विशेषतः आर्थिक एवं तकनीकी, द्वारा, वर्तमान प्रसंविदा द्वारा मान्य अधिकारों की सिद्धि की प्रगामी उपलब्धि हेतु सारे उपाय, विशेषतः विधायी उपाय, अपनायेंगे।

2. वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्य यह आश्वस्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि वर्तमान प्रसंविदा में विवृत अधिकारों का प्रयोग नस्ल, भाषा, धर्म, राजनीतिक

Scanned by CamScanner

या अन्य मतों, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म अथवा अन्य स्थिति का भेद किये बिना किया जायेगा।

3. विकासशील देश, मानवाधिकारों एवं अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यस्था का समुचित ध्यान रखते हुए, यह निश्चित कर सकते हैं कि वर्तमान प्रसंविदा में मान्य अधिकारों की आश्वस्ति वे गैर–राष्ट्रिकों को किस सीमा तक प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 3– इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रतिबद्ध होते हैं कि वे इस प्रसंविदा में विवृत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का पुरूषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 4– इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य मानते है कि राज्य द्वारा वर्तमान प्रसंविदा के अनुरूप प्रदत्त उन अधिकारों के उपभोग की सीमा केवल कानून द्वारा निर्धारित होगी जो इन अधिकारों की प्रवृत्ति के अनुकूल होंगे तथा जनतान्त्रिक समाज के सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि मात्र के लिए बनाये गये होंगे।

अनुच्छेद 5– 1. इस प्रसंविदा की किसी बात की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती जिस से यह अर्थ निकले कि किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को उसे ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होने का अधिकार है जिन का उद्देश्य इस के द्वारा मान्य अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं को नष्ट करना हो अथवा इस प्रसंविदा द्वारा निर्धारित मर्यादा से बढ़कर उन्हें सीमित करना हो।

2. किसी देश में विधि, परम्परा, नियम या प्रथा द्वारा मान्य मूलभूत मानव अधिकारों का प्रतिबन्धन या अवमूल्यन इस बहाने नहीं किया जायेगा कि वर्तमान प्रसंविदा उन अधिकारों को मान्यता नहीं देती या कम अंशों में मान्यता देती है।

भाग III

अनुच्छेद 6– 1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य मानते हैं कि सभी को काम अधिकार है जिस में अपनी आजीविका के लिए मुक्त रूप से कोई भी काम चुनने या स्वीकार करने का अधिकार शामिल है तथा वे इस अधिकार के रक्षोपाय हेतु उपयुक्त कदम उठायेंगे।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण सिद्धि के लिए

Scanned by CamScanner

उठाये जाने वाले कदमों में तकनीकी तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कार्यक्रम तथा व्यक्ति को मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रताओं के रक्षोपायों सहित उस के सतत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास तथा पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार दिलाने हेतु नीतियाँ और तकनीकें शामिल होंगी।

अनुच्छेद 7– इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य मानते है कि सभी को काम की न्यायसंगत एवं अनुकूल शर्तों के उपभोग का अधिकार है जो सुनिश्चित करें, विशेष रूप से,

(क) सभी कर्मियों को ऐसा पारिश्रमिक जिससे उन्हें मिल सके, अन्ततः

(i) समान मूल्य के काम के लिए समान मजदूरी, बिना किसी भेदभाव के, विशेष रूप से महिलाओं को इस आश्वस्ति के साथ कि उन के काम की शर्तें पुरूषों की तुलना में कदापि न्यूनतर नहीं होगी;

(ii) वर्तमान प्रसंविदा के प्रावधानों के अनुसार, उनको एवं उनके परिवारों को शालीन जीवन–यापन;

(ख) काम करने की सुरक्षित और स्वास्थ्यकर स्थितियाँ;

(ग) सभी को अपने रोजगार में उपयुक्त स्तर तक प्रोन्नत होने का समान अवसर जिसके लिए वरिष्ठता तथा कार्यकुशलता के अतिरिक्त और किसी बात पर विचार न हो;

(घ) आराम, फुरसत तथा काम के घण्टों की उचित सीमा तथा वेतनसहित आवधिक छुट्टियाँ और सार्वजनिक अवकाश के दिनों के लिए पारिश्रमिक।

अनुच्छेद 8– 1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रतिबद्ध होते है यह सुनिश्चित करने के लिए कि,

(क) अपने आर्थिक एवं सामाजिक हितों की अभिवृद्धि तथा संरक्षण के लिए सभी को ट्रेड संगठन गठित करने तथा उसका सदस्य बनने का अधिकार हो जिसके लिए सम्बद्ध संगठन की नियमावली का पालन एकमात्र शर्त हो। इस अधिकार के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा सिवा ऐसे प्रतिबन्धों के जो विधि द्वारा विहित हों

Scanned by CamScanner

या औरों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं के संरक्षण या राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए आवश्यक हों;

(ख) ट्रेड संगठनों को राष्ट्रीय संघ या परिसंघ स्थापित करने का और ऐसे संघों या परिसंघों को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड संगठनों की सदस्यता का अधिकार हो;

(ग) ट्रेड संगठनों को मुक्त रूप से कार्य करने का अधिकार हो जिसकी मर्यादा केवल ऐसी विधि द्वारा निर्धारित हो जो जनतान्त्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में अथवा औरों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं के संरक्षण के लिए आवश्यक हो;

(घ) कर्मियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार हो, बशर्ते कि वह देश–विशेष की विधियों द्वारा समर्थित हो।

2. सशस्त्र बलों, आरक्षी तथा राज्य प्रशासन के सदस्यों द्वारा इन अधिकारों के उपयोग पर विधिसम्मत प्रतिबन्ध लगाने में यह अनुच्छेद किसी प्रकार बाधक नहीं होगा।

3. संयोजन की स्वतन्त्रता एवं संगठन के अधिकार के संरक्षण विषयक 1948 के 'अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय' के पक्षकार राज्यों को ऐसे विधायी उपाय अपनाने या विधि को इस प्रकार लागू करने के लिए यह अनुच्छेद कदापि प्राधिकृत नहीं करता जिससे इस प्रसंविदा में प्रदत्त आश्वस्तियों को क्षति पहुँचे।

अनुच्छेद 9– इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य सामाजिक बीमा समेत सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 10– 1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य मानते हैं कि परिवार को, जो समाज की स्वाभाविक तथा मूलभूत इकाई है, व्यापकतम संरक्षण एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए, विशेषतः इसकी स्थापना के लिए और इसके द्वारा अपने आश्रित बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा का दायित्व वहन करने के लिए विवाहेच्छुक युगलों की मुक्त सहमति से ही विवाह होने चाहिए।

2. प्रसव के पूर्व तथा प्रसव के बाद समुचित अवधि तक माताओं को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। कार्यरत माताओं को इस अवधि में वेतनसहित अवकाश तथा यथेष्ट

Scanned by CamScanner

सामाजिक सुरक्षा हितलाभ दिया जाना चाहिए।

3. वंश या अन्य कारणों से भेदभाव किये बिना सभी बच्चों तथा अवयस्कों के संरक्षण तथा सहायता के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए। बच्चों और अल्पवयस्कों को आर्थिक तथा सामाजिक शोषण से संरक्षण मिलना चाहिए। उन्हें ऐसे रोजगार में लगाना विधि द्वारा दण्डनीय होना चाहिए जो उनकी नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या जीवन के लिए खतरनाक हों या जिनसे उन के सामान्य विकास में बाधक होने की सम्भावना हो। राज्यों को ऐसी आयु–सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए जिससे नीचे सवेतन बाल मजदूरी निषिद्ध और विधि द्वारा दण्डनीय होनी चाहिए।

अनुच्छेद 11– 1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य मानते हैं कि सभी को अपने और अपने परिवार के लिए यथेष्ट जीवन–स्तर का अधिकार है जिसमें यथेष्ट भोजन, वस्त्र तथा आवासन एवं जीवन–यापन की स्थितियों की अनवरत उन्नति शामिल है। पक्षकार राज्य इस अधिकार की सिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, इसके लिए मुक्त सहमति पर आधारित अंतराष्ट्रीय सहयोग की अनिवार्य महत्ता को मान्यता देते हुए समुचित कदम उठायेंगे।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, भुखमरी से मुक्ति के सभी के मूलभूत अधिकार को मान्यता देते हुए, व्यष्टितः तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा, विशिष्ट कार्यक्रमों समेत, ऐसे आवश्यक उपाय अपनायेंगे जिनसे

(क) पोषण के सिद्धान्तों का प्रसार और कृषिक पद्धतियों का विकास एवं सुधार करते हुए, तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान के पूर्ण प्रयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दक्षतापूर्ण विकास तथा उपयोग करते हुए, खाद्य के उत्पादन, संभरण तथा वितरण के तरीकों में उन्नति हो सके;

(ख) खाद्य आयातक एवं खाद्य निर्यातक दोनों प्रकार के देशों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण विश्व की खाद्य आपूर्तियों का समुचित वितरण सुनिश्चित हो सके।

अनुच्छेद 12– 1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य शारीरिक एवं मानसिक स्वाथ्य के उच्चतम प्राप्तव्य स्तर का लाभ उठाने के सभी अधिकार को मान्यता देते हैं।

Scanned by CamScanner

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण सिद्धि के लिए उठाये जाने वाले कदमों मे निम्नांकितों के लिए आवश्यक कदम शामिल होंगे;

(क) मृत शिशु जन्मदर तथा शिशु मृत्युदर को घटाने एवं बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान;

(ख) पर्यावरण एवं औद्योगिक स्वच्छता के सभी पहलुओं की उन्नति;

(ग) व्यापक, स्थानिक, व्यावसायिक एवं अन्य रोगों की रोकथाम, चिकित्सा तथा नियन्त्रण;

(घ) रूग्णावस्था में सभी को चिकित्सीय सेवा एवं चिकित्सीय अवधान मिलने के प्रति आश्वस्त करने वाली स्थितियों का निर्माण;

अनुच्छेद 13– 1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य सभी के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं। वे सहमत हैं कि शिक्षा मानव अस्तित्व एवं इसकी गरिमा की भावना के सम्पूर्ण विकास की दिशा में उन्मुख होगी और मानवाधिकारों एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान को दृढ़ बनायेगी। अपरंच, वे सहमत हैं कि शिक्षा सभी व्यक्तियों को मुक्त समाज में प्रभावी सहभागिता उपलब्ध करायेगी तथा सभी राष्ट्रों, एवं सभी नस्ली, प्रजातीय तथा धर्मीय समूहों के बीच सम्प्रीति, सहिष्णुता एवं मित्रता को प्रोत्साहित करेगी, तथा शान्ति की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों को बढ़ावा देगी।

2. वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्य मानते है कि इस अधिकार की पूर्ण सिद्धि के लिए;

(क) प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध होगी।

(ख) तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा समेत, विभिन्न प्रकारों की माध्यमिक शिक्षा सभी उपयुक्त साधनों, और विशेषतः निःशुल्क शिक्षा की प्रगामी व्यवस्था द्वारा, सामान्य रूप से उपलब्ध और सभी की पहुँच के भीतर करायी जायेगी;

(ग) उच्चतर शिक्षा, क्षमता के आधार पर समान रूप से सभी उपयुक्त साधनों, विशेषतः निःशुल्क शिक्षा की प्रगामी व्यवस्था द्वारा, सभी की पहुँच के भीतर

Scanned by CamScanner

उपलब्ध करायी जायेगी;

(घ) उन व्यक्तियों के लिए, जो प्राथमिक शिक्षा न पा सके हों या पूरी न कर सकें हों, मूलभूत शिक्षा को यथासम्भव, प्रोत्साहित या सघनीकृत किया जायेगा;

(ड़.) सभी स्तरों के विद्यालयों की प्रणाली सक्रिय रूप से विकसित की जायेगी, वृत्तियों की यथेष्ट प्रणाली स्थापित की जायेगी तथा शिक्षकों की भौतिक स्थितियों में निरन्तर सुधार किया जायेगा।

3. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य माता–पिता अथवा, यथायोग्य, विधिक अभिभावाकों द्वारा अपने बच्चों के लिए सार्वजनिक प्राधिकारों द्वारा स्थापित शिक्षा संसाधनों के स्थान पर, अपनी आस्था के अनुरूप अपने बच्चों की धर्मीय एवं नैतिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु, दूसरे ऐसे विद्यालयों को चुनने की स्वाधीनता का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध होते हैं जो राज्य द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित न्यूनतम स्तर के समनुरूप हों।

4. इस अनुच्छेद के किसी भाग का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे व्यक्तियों या संगठनों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें निर्देश देने की स्वाधीनता में व्यवधान आये, बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कण्डिका 1 में वर्णित उस आवश्यकता का पालन किया जाये कि ऐसे विद्यालयों में शिक्षा का स्तर राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों के समनुरूप होगा।

अनुच्छेद 14– इस प्रसंविदा का पक्षकार प्रत्येक राज्य, जो इस का पक्षकार बनने के समय अपने मातृभौमिक क्षेत्र में तथा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका है वचनबद्ध होता है कि वह दो वर्ष के भीतर ऐसी विस्तृत कार्ययोजना बना कर अंगीकृत करेगा जिसके अन्तर्गत एक उचित वर्षो की अवधि के भीतर सभी के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के सिद्धान्त के प्रगामी कार्यान्वयन की व्यवस्था होगी।

अनुच्छेद 15– 1. वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्य मान्यता प्रदान करते हैं कि सभी को अधिकार है;

Scanned by CamScanner

(क) सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का;

(ख) वैज्ञानिक प्रगति एवं उसके अनुप्रयोगों से लाभान्वित होने का;

(ग) स्वयं द्वारा रचित वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं कलात्मक उत्पादनों से प्रसूत नैतिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण के लाभान्वित होने का।

2. वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण सिद्धि के लिए उठाये जाने वाले कदमों में विज्ञान तथा संस्कृति के परिरक्षण, विकास एवं सम्प्रसारण हेतु कदम शामिल होंगे।

3. वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं रचनात्मक कार्यों के लिए अपरिहार्य स्वतन्त्रता का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध होते हैं।

4. वर्तमान प्रसंविदा के पक्षकार राज्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्को एवं सहयोग के प्रोत्साहन तथा विकास से उत्पन्न लाभों को मान्यता प्रदान करते हैं।[25]

Scanned by CamScanner

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966

प्रस्तावना के अतिरिक्त, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में 31 अनुच्छेद हैं जो 5 भागों में विभाजित हैं। अध्ययन की सुविधा हेतु इन प्रावधानों को हम निम्नलिखित कोटियों में विभाजित कर सकते हैं :

(क) प्रस्तावना;

(ख) सामान्य (अनुच्छेद 1 से 5 तक);

(ग) सारवान अधिकार (अनुच्छेद 06 से 15 तक);

(घ) प्रवर्तन के उपाय (अनुच्छेद 16 से 25 तक);

(ड.) अन्तिम प्रावधान (अनुच्छेद 26 से 31 तक)।[24]

उद्देशिका

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य,

यह विचार करते हुए कि, संयुक्त राष्ट्र के अधिपत्र में घोषित सिद्धान्तों के अनुरूप, मानव परिवार के सभी सदस्यों की अन्तर्निहित गरिमा की तथा उनके समान एवं अदेय अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय तथा शान्ति का आधार है,

यह मानते हुए, कि, ये अधिकार मानव शरीर की अन्तर्निहित गरिमा से प्रसूत है,

यह मानते हुए, कि, 'मानवाधिकारों का सार्वदेशिक घोषणापत्र' के अनुरूप, उस आदर्श की सिद्धि जिसके अन्तर्गत मानव भय तथा अभाव से मुक्ति का आनन्द ले सके, केवल तभी सम्भव है जब ऐसी परिस्थितियों का सृजन हो जिनके द्वारा मानव मात्र अपने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सकें,

Scanned by CamScanner